

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : सीबी / पीएमएस / एफ-2116 / 2017 /
दिनांक :-

—:: आदेश ::—

श्री भारत अरोड़ा, लैब टेक्नीशियन, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित होने के कारण इन्हें निदेशालय के आदेश क्रमांक 1999 दिनांक 08.09.2017 द्वारा राज्यसेवा से निलम्बित किया जाकर, निलम्बनकाल में मुख्यालय, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर के कार्यालय में किया गया था, को इनके विरुद्ध लम्बित विभागीय जांच को सुरक्षित रखते हुए राज्यसेवा में बहाल कर, इनका पदस्थापन राज्य कुष्ठ रोग चिकित्सालय, पुराना घाट, जयपुर में लैब टेक्नीशियन के रिक्त पद पर किया जाता है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर।

दिनांक :- 13/9/17

क्रमांक : सीबी / पीएमएस / एफ-2116 / 2017 / 2055

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकि० एवं स्वा० विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकि० एवं स्वा० विभाग, राज०, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
5. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति संबंधित कार्मिक को सुपुर्द कराकर आदेश की पालना में मुक्त कर पालना से अवगत करावे।
7. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राज्य कुष्ठ रोग चिकित्सालय, पुराना घाट, जयपुर।
8. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित / डी.पी.सी. अनुभाग, मुख्यालय।
9. श्री भारत अरोड़ा, लैब टेक्नीशियन को द्वारा क्रम संख्या-06
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
11. आदेश / रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर।